राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)
email- secraj@rajasthan.gov.in, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः F 3 (81) / स्टोर / रानिआ / 2026 / 1231 दिनांकः– 30.01.2026

अल्पकालीन बोली आमंत्रण सूचना

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान, जयपुर में निर्वाचन कार्य के प्रयोजनार्थ ईवीएम परिवहन हेतु (अनुमानित लागत 3,75,00000/- रूपये) दर संविदा के लिए अनुभवी ट्रांसपोर्टरों से बोली दिनांक 05/02/26 को अपरान्ह 02.00 बजे तक आंमत्रित की जाती है। विस्तृत बोली आमंत्रण सूचना एवं बोली दस्तावेज आयोग की वेबसाईट http://secrajasthan.gov.in, SPPP Portal पर एवं ई–प्रोक पर देखे व प्राप्त किये जा सकते है।

NIB CODE- SEC2526A0018

UBN- SEC2526SLRC00017

30/1/26

सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः F 3 (81) / स्टोर / रानिआ / 2026 / 1232-35 दिनांकः– 30.01.2026

प्रतिलिपी निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि बोली आमंत्रण सूचना को पचास हजार प्रतियों और उससे अधिक का परिचालन रखने वाले एक राज्य स्तरीय मुख्य दैनिक समाचार पत्र में एवं एक व्यापक परिचालन वाले राष्ट्रीय समाचार पत्र में न्यूनतम स्पेस में नियमानुसार प्रकाशित करावें एवं बिल प्रस्तुत करावें।
2. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर राज्य निर्वाचन आयोग को प्रेषित कर लेख है कि ई–प्रोक पोर्टल, एसपीपीपी पोर्टल एवं आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करावें।
3. नोटिस बोर्ड।
4. रक्षित पत्रावली।

सहायक सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग,

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)
email- secraj@rajasthan.gov.in, FAX 0141-2227280, 2227072

Short Term NIB (Notice Inviting Bids)

Sr no.

Date:

1.	Reference of Invitation of Bids	S.No. /dated:	
2.	Name & Address of officer as the Procuring Entity (PE) and for clarification purposes	State Election Commission, Rajasthan Secretariat, Jaipur- 302005	
		Name:	Rajesh Verma
		Designation	Secretary
		Address	State Election Commission, 2nd Floor, Development Block, Secretariat, Jaipur (Rajasthan) - 302005
		Phone No.	0141-2227280, 2227037
		E-mail	secraj@rajasthan.gov.in
3.	Placing Work Order/ Payment Authority	Secretary, State Election Commission, Rajasthan, Jaipur	
4.	Subject Matter of Procurement	Rate Contract for EVM Transportation work	
5.	For Destination	State Election Commission, Rajasthan Secretariat, Jaipur- 302005	
6.	Joint Venture/Consortium/Association of Bidders	Shall not be allowed	
7.	Rate Contract Period	1 year from the date of signing of agreement (can be extended with mutual consent if required as per per RTPP Act 2012 and RTPP Rule 2013).	
8.	Bid Procedure	Single stage two envelopes bidding (two parts) open competitive bid procedure given at http://eproc.rajasthan.gov.in	
9.	Bid Evaluation Criteria	Least cost base selection As per RTPP Act 2012 and RTPP Rule 2013	

10.	Website for downloading bidding document Corrigendum addendum etc.	http://sppp.rajasthan.gov.in secraj@rajasthan.gov.in http://eproc.rajasthan.gov.in
11.	Bid Document Fee	Rs 1000/- (Rupees One Thousand only) in Demand Draft in favour of Secretary, State Election Commission, Rajasthan payable at "Jaipur"or through e grass challan-Budget Head-0075-00-800-52-01
12.	RISL. Processing Fees	Rs 2000/- (Rupees Two Thousand only) in Demand Draft in favour of Managing Director. RISL Rajasthan payable at "Jaipur" or through e grass challan-Budget Head-8658-00-102-16-01
13.	Estimated Procurement Cost	Rs 3,75,00000/- (Rupees Three crore seventy five lac Only)
14.	Bid Security	Rs 7,50,000/- (Rupees seven lac fifty thousand only) 2% of the estimated procurement cost bid value (0.5% of the above procurement of bid in case of small scale industries of Rajasthan, 1% of the value of bid in case of Sick industries of Rajasthan) (refer details given in this bid) Mode of Payment: Bid security deposit demand draft in favors of Secretary, State Election Commission, Rajasthan" Payable at Jaipur of Scheduled bank or through e grass challan-Budget Head-8443-00-103-00-00
15.	Period of Sale of Bidding Document (Start/End Date)	Start Date: 31/01/2026 03:00 PM. End Date: 05/02/2026 01:00 PM.
16.	Submission of Banker's Cheque/DD for Tender Fee, Bid Security and RISL Processing Fee or e grass challan-	Start Date: 31/01/2026 03.00 PM End Date: 05/02/2026 12.00 PM
17.	Date for the Submission of Bids	Manner: Online at e-proc website: http://eproc.rajasthan.gov.in from date 31/02/....2026 Time 02.00 PM to 05/02/2026 Time 02:00 PM
18.	Date/Time/Place of Technical Bid Opening	Date: 05/02/2026 Time: 03.00 PM. Place: Chamber of Secretary, State Election

		Commission, Rajasthan Jaipur
19.	Date/Time/Place of Financial Bid Opening	Will be intimated later to the Technically qualified bidders only
20.	Bid Validity	90 days from the last date of bid submission
21.	Language of Bid	English/Hindi
22.	Alternate Bids	Not Permitted
23.	Bid Submitted	Original Bid: Unconditional and with no deviation

1. Bidder (authorized signatory) shall submit their offer on-line in electronic formats both for technical and financial proposal. However, DD for Tender Fees, RISL Processing Fees and Bid Security should be submitted physically at the office of procuring Entity as prescribed in NIB and scanned copy of same should also be uploaded along with the technical bid/cover and if submitted through egrass challan scanned copy of same should also be uploaded along with the technical bid/cover. There is no need for physical submission of E-grass challan.
2. In case any of the bidders fails to physically submit the Banker's cheque/ Demand Draft for Tender Fee and RISL Processing Fee. Bid Security on or before the Prescribed last date/ time in the BDS, its bid shall not be accepted. The Banker's Cheque/ Demand Draft for Bidding document fee should be drawn in favors of "Secretary, State Election Commission "and the RISL Processing Fee in favors of "Managing Director" RajCOMP info Services Ltd." Payable at "Jaipur" from any Scheduled Commercial Bank.

Secretary
State Election Commission

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)
email- secraj@rajasthan.gov.in, FAX 0141-2227280, 2227072

परिचय

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान पंचायत राज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों के चुनावों के प्रयोजनार्थ ईवीएम परिवहन हेतु अनुभवी ट्रांसपोर्टरों जिनको पूर्व में ईवीएम परिवहन का अनुभव है, तथा जो निविदा में उल्लेखित शर्तों को पूरा करते हो, से ई–निविदा के माध्यम से ईवीएम परिवहन हेतु दर संविदा के लिए ऑनलाइन अल्पकालीन निविदा आमंत्रित करता हैं।

क्र. सं.	परिवहन की जाने वाली सामग्री का विवरण	अनुमानित लागत	बोली प्रतिभूति	विशिष्ट विवरण
1.	ईवीएम (सीयू एवं बीयू)	राशि रूपये 3,75,00000	अनुमानित लागत का 02 प्रतिशत	ईवीएम की साइज– बीयू–22.5*16*4 इंच, वजन–4.9 किग्रा सीयू–16*15.75*4 इंच, वजन–1.5 किग्रा

निविदा की सामान्य शर्तेः–

1. RISL/State Election Commission Will not be responsible for delay in online submission due to any reason. For this, bidders are requested to upload the complete bid well in advance so as to avoid 11th hour issues like slow internet speed, choking of web site due to heavy load or any other unforeseen problems.
2. Bidders are also advised to refer "Bidders Manual kit" available at e-Proc website for further details about the e-Tendering Process.
3. Training for the bidders on the usage of e-Tendering system (e-procurement) is also being arranged by DOIT &C on a regular basis. Bidders interested for training may contact as per details given below:-

   Contact No: 0141-4022688 (helpdesk 10 AM to 6 PM on all working days),
   24x7 Toll Free Telephonic Help Desk Number 1800-3070-2232
   Email: eproc@rajasthan.gov.in
   Address: e-procurement Cell, RISL, Yojana Bhavan, Tilak marg, C-Scheme, Jaipur
4. The provision of RTPP Act, 2012 and Rules, 2013 thereto including amendment(s) shall be applicable for this procurement. Furthermore in case of any inconsistency in any of the Provision

of this bidding document with the RTPP Act, 2012 and Rules, 2013 thereto including amendment(s) the later shall prevailed.

5. The Bid Document Fee, Bid Security & RISL/BID Processing Fee in the Form of Demand Draft or Banker's cheque shall be submitted personally or by post in sealed envelopes up to .01.2026 at 12:00 PM. The Secretary, State Election Commission, Rajasthan, Secretariat, Jaipur bearing "Bid for Transportations of EVM .

6. RISL processing Fee Rs 2000/- (Rupees Two Thousand only) in form of Demand Draft in favors of " Managing Director, RISL" payable at "Jaipur" and bid document fee, Bid Security fee in form of DD/Banker's cheque in favors of "Secretary, State Election Commission, Rajasthan Jaipur".

7. Bids received after the specified time and date shall not be accepted. Off-line bids shall not be entertained.

8. To participate in online bidding process, Bidders must procure a Digital Signature Certificate (Type III) as per Information Technology ACT-2000 using which they can digitally sign their electronic bids. Bidders can procure the same from any CCA approved certifying agency, i.e. TCS, safe crypt, N code etc. Bidders who already have a valid Digital Signature Certificate (DSC) need not procure a new DSC. Also, bidders must register on http://eproc.rajasthan.gov.in (bidders already registered on https://eproc.rajasthan.gov.in before 30-09-2011 must register again).

1. वित्त (जी एण्ड टी) विभाग के परिपत्र संख्या प.6(5)वित्त/सा.वि.ले.नि./2018 दिनांक 27.04.2020 के अनुसार ऑनलाइन प्रस्तुत की जाने वाली बोली हेतु निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क. प्रोसेसिंग शुल्क एवं बोली प्रतिभुति राशि (बिड़ सिक्योरिटी राशि) ऑनलाइन ई ग्रास सिस्टम के माध्यम से जमा करवाया जाना आवश्यक है।
2. चालान के माध्यम से उक्त राशि जमा कराने पर चालान की प्रति निविदा दस्तावेज के साथ प्रस्तुत करवाया जाना सुनिश्चित करें।
3. किसी बोली को स्वीकार/अस्वीकार करने या किसी बोली को निरस्त करने का अधिकार सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, जयपुर के पास सुरक्षित रहेगा।
4. तकनीकी बोली में सफल बोलीदाताओं की ही वित्तीय बोलियां खोली जायेगी।
5. वित्तीय बोली (Price Bid) प्रपत्र संलग्न है, जो निर्धारित BOQ में दिया जावें। इसे तकनीकी बोली के साथ संलग्न नही किया जावें। वित्तीय बोली ऑनलाइन ही प्रस्तुत करनी होगी।
6. प्रथमतः प्राप्त बोलियों की तकनीकी बोली को खोला जावेगा एवं स्पेसिफिकेशन, नियम व शर्तो तथा योग्यता मापदण्डों के अनुसार मूल्यांकन किया जावेगा। तकनीकी बोली में योग्य एवं सफल पाये गये बोलीदाताओं की ही वित्तीय बोली (Price Bid) खोली जावेगी।
7. विभाग द्वारा जारी बोली दस्तावेज, निविदा से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों तथा बोली के समस्त प्रपत्रों की पूर्ति कर (पूर्ण रूप से भरकर) प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर (सील सहित) करके स्कैन कर बोली के साथ ऑनलाइन अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा, जिसके अभाव में बोली पर विचार नहीं किया जायेगा।

8. **फर्म को किसी भी केन्द्रीय/राज्य/सरकारी/सहकारी उपक्रम एवं अन्य सरकारी विभाग में ब्लैक लिस्ट ना होने का शपथ–पत्र रू 100 के स्टाम्प पर अंकित कर नोटेराइज्ड करवाकर निविदा में प्रस्तुत करना होगा।**
9. निविदादाता के द्वारा प्रयुक्त किये जाने वाले वाहनों का वैध रजिस्ट्रेसन, वैध बीमा, पीयूसी, वाहन फिटनेस एवं चालक के पास वांछित श्रेणी का लाइसेंस होना अनिवार्य है।
10. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत दरों में पीओएल–डीजल एवं ऑयल, ड्राइवर एवं सहायक का खर्चा, वाहन की मरम्मत, फुटकर व्यय आदि सभी प्रकार के व्यय सम्मिलित होंगे।
11. ईवीएम परिवहन कार्य के दौरान टौल टेक्स का प्रमाण प्रस्तुत करने पर वास्तविक आधार पर पुनर्भरण किया जायेगा।
12. वाहन के ब्रेकडाउन या अन्य खराबी होने पर निविदादाता द्वारा तुरंत दूसरा वाहन उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। यदि ब्रेकडाउन होने के पश्चात तुरंत दूसरा वाहन उपलब्ध नही कराया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में आयोग/प्राधिकृत अधिकारी कर्मचारी द्वारा बाजार से वाहन किराये पर लिये जाने पर उसका भुगतान निविदा दाता के भुगतान में से किया जायेगा।
13. लॉग शीट निर्धारित प्रारूप में प्रतिदिन भरकर प्रभारी अधिकारी से प्रमाणित कराते हुये परिवहन कार्य समाप्ति पर बिल के साथ प्रस्तुत करनी होगी।
14. वाहन चालक की त्रुटि से वाहन दुर्घटना घटित होने पर समस्त जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। पुलिस केस, न्यायिक वाद की स्थिति में समस्त वाद की जिम्मेदारी एवं मुकदमें का समस्त व्यय निविदादाता को वहन करना होगा।
15. आयोग वाहन चालक को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता अथवा अन्य किसी प्रकार का व्यय एवं क्षतिपूर्ति आदि का कोई भुगतान नही करेगा।
16. निविदादाता द्वारा आयोग की आवश्यकतानुसार जितने वाहन उपलब्ध कराने का आदेश दिया जाता है उतने वाहन उपलब्ध कराने होंगे।
17. राज्य निर्वाचन आयोग आवश्यकतानुसार नियमानुसार एक से अधिक निविदा दाताओं में भी कार्य का विभाजन कर सकता है।
18. निविदादाता का चयन सामान्यतः एल–1(एलसीबीएस) आधार पर किया जाएगा।
19. उद्धत की गयी दरें अनुबंध अवधि से एक वर्ष के लिए विधिमान्य होगी। इस अवधि को नियमानुसार आवश्यकतानुरूप घटाया/बढाया जा सकेगा।
20. राजस्थान राज्य की MSME फर्मों द्वारा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 में यथा उल्लिखित उद्यमी ज्ञापन–II/उद्योग आधार ज्ञापन की अभिस्वीकृति की स्वयं द्वारा अनुप्रमाणित प्रतिलिपि तकनीकी बिड के साथ प्रस्तुत करनी होगी। इसके आधार पर ही बोली प्रतिभूति एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि में छूट दी जा सकेगी।
21. निविदा प्रपत्र मूल्य, प्रोसेसिंग फीस का एवं बोली प्रतिभूति जमा का साक्ष्य/संलग्न नहीं होने पर निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
22. निविदा दाता अपनी अन्य कोई शर्त अंकित नहीं करे। यदि अन्य शर्त अंकित की जाती है तो निविदा को अस्वीकृत करने/शर्त को अमान्य करने का अधिकार इस कार्यालय का होगा।
23. **विधि मान्यता–** निविदा, उनके खेले जाने के दिनांक से 90 दिन की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।
24. निविदा दाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेंन्सी के लिए नहीं सौंपेगा या उप भाडे (सब लैट) पर नहीं देगा।
25. उक्त निविदा में जोइंट वेंचर जिसमें अधिकतम दो भागीदार हो भाग ले सकेगा।
26. जोइंट वेंचर के पास ईवीएम परिवहन कार्य का अनुभव एवं वांछित टर्नऑवर होना आवश्यक है।
27. प्रदाय हेतु संविदा को, यदि परिवहन कार्य क्रेता अधिकारी की सन्तुष्टि के अनुसार नहीं की जाती हैं, तो निविदा दाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद क्रेता अधिकारी किसी भी समय निराकृत (Repudiate) कर सकता हैं।

28. निविदा दाता का उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता (disqualification) होगी।

29. सफल निविदा दाता को आदेश के प्राप्त होने से 07 दिन की अवधि के भीतर करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा जिन सामानों (स्टोर्स) के लिए निविदा स्वीकार की गयी हैं, उनके आदेशित मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर कार्य निष्पादन प्रतिभूति जमा करानी होगी। यह प्रतिभूति प्रेषण के उस दिनांक से जिसको निविदा के स्वीकार किए जाने की सूचना उसे दी गयी है, 07 दिन के भीतर जमा करायी जावेगी।

30. निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान के पास रजिस्ट्रीकृत लघु उद्योग इकाइयों/राज्य की एमएसएमई ईकाइयों अथवा यूएएम धारी फर्मो को उन सामानों के सम्बन्ध में जिनके लिए वे रजिस्टर्ड हैं, उनके द्वारा निदेशक उद्योग से पंजीयन की विधिवत अनुप्रमाणित एक प्रति प्रस्तुत किए जाने पर राशि के भुगतान से आंशिक छूट दी जाएगी तथा वे निविदा के अनुमानित आदेशित मूल्य के 01 प्रतिशत की दर पर प्रतिभूति निक्षेप का भुगतान करेंगी।

31. केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रम प्रतिभूति राशि जमा कराने से मुक्त होंगे लेकिन उन्हें बोली घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।

32. रूग्ण इकाई हेतु प्रतिभूति राशि 02 प्रतिशत होगी।

1. निविदा कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।
2. निविदा कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि सचिव राज्य निर्वाचन आयोग **जयपुर** के पक्ष में राष्ट्रीयकृत बैंक की बैंक गारन्टी, शिड्यूल बैंक का बैंक ड्राफ्ट/सावधि जमा (FDR)/eGRAS चालान किसी भी रूप में जमा करायी जा सकती है।

33. भुगतान :

a) कार्य संपादन उपरांत निविदादाता/संवेदक/फर्म द्वारा क्रेता अधिकारी को बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जाएगा तथा सभी प्रेषण प्रभार निविदा दाता द्वारा वहन किए जाएंगे।

b) बिल के साथ में परिवहन कार्य में प्रयुक्त कंटेनरों की लॉग शीट प्रभारी अधिकारी/नोडल अधिकारी/आयोग द्वारा अधिकृत अधिकारी से प्रमाणित कराते हुये प्रस्तुत करनी होगी।

c) लॉग शीट में कंटेनरों द्वारा ईवीएम परिवहन कार्य हेतु तय दूरी के किलोमीटरों का स्पष्ट अंकन होना आवश्यक है। किलोमीटरों का अंकन अंकों के साथ ही शब्दों में भी करावें।

d) लॉग बुक में किसी प्रकार की ओवर राइटींग या कटिंग होने पर प्रभारी अधिकारी से कटिंग अटैस्ट कराकर प्रस्तुत करें।

e) किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान देय नही होगा।

f) भुगतान सभी लागू करों की नियमानुसार कटोती करते हुए किया जाएगा।

g) विवादास्पद मदों के सम्बन्ध में, राशि के 10 से 25 प्रतिशत तक को रोका जाएगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर निर्णयानुसार भुगतान कर दिया जाएगा।

34. निविदा प्रपत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट समय को संविदों सार रूप में समझा जाएगा तथा सफल निविदा दाता क्रेता अधिकारी से फर्म ऑर्डर के प्राप्त होने से निर्धारित अवधि के भीतर सप्लाई करेगा।

35. यदि निविदा दाता ऐसी शर्ते आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त हैं या उनके विरोध में हैं, तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी सूरत में

इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाएगा जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किए गए निविदा स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लिखित न किया गया हो।

36. आरटीपीपी अधिनियम 2012 एवं नियम 2013, सामान्य वित्त एवं लेखा नियम के समस्त प्रावधान इस निविदा पर लागू होंगे। एवं निविदा प्रपत्र की शर्तों में भिन्नता होने पर आरटीपीपी अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 सर्वोपरी होंगे।

निविदा की तकनीकी शर्तेः–

37. निविदादाता का गत तीन वित्तीय वर्ष यथा– 2022–23, 2023–24 एवं 2024–25 का औसत न्यूनतम टर्नओवर राशि रूपये 4.00 करोड़ का होना चाहिये। इस हेतु फर्म को गत तीन वर्षो के चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से सत्यापित टर्नओवर प्रमाण पत्र, बैलेंस शीट, पी एण्ड एल एवं ओडीट रिपोर्ट तथा गत 03 वर्षो की आयकर विवरणी की सत्यापित प्रतियां संलग्न करनी होगी, मय यूडीआइएन नम्बर।

38. वित्तीय वर्ष 2024–25 सीए प्रमाणित सकारात्मक नेटवर्थ प्रमाण पत्र की प्रति मय यूडीआइएन नम्बर।

39. बोली दाता फर्म/कम्पनी के पंजीकरण की छाया प्रति (प्रोपराइटर/प्राइवेट कंपनी/पार्टनरशिप फर्म/ट्रस्ट/सोसाईटी या अन्य कोई श्रेणी)

40. बोलीदाता को पेन कार्ड एवं जीएसटी पंजीकरण संलग्न करना होगा।

41. निविदादाता के पास गत पॉच वित्तीय वर्षों में से न्यूनतम किसी एक वर्ष में ईवीएम परिवहन कार्य का न्युनतम राशि रू. 40 लाख का अनुभव होना आवश्यक है। इसके लिए कार्यादेश/संतोषप्रद कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र/अनुबंध/भुगतान संबंधी प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

42. ईवीएम परिवहन हेतु आयोग के आदेशानुसार पर्याप्त मात्रा में कंटेनर उपलब्ध कराते हुये परिवहन कार्य संपादित करना होगा।

43. ईवीएम परिवहन का कार्य अनिवार्य रूप से बंद बॉडी कंटेनरों के माध्यम से किया जाना आवश्यक है।

44. ईवीएम परिवहन हेतु प्रयुक्त होने वाले बंद बॉडी कंटेनर में जीपीएस लगा होना आवश्यक है।

45. ईवीएम रखे हुये बंद बॉडी कंटेनर ट्रक को राज्य निर्वाचन आयोग/आयोग के अधिकृत अधिकारी की अनुमति के बिना नही खोले।

46. बोलीदाता बंद बॉडी कंटेनरों के माध्यम से ईवीएम परिवहन कार्य के दौरान भारत निर्वाचन आयोग एवं राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान आयोग द्वारा ईवीएम परिवहन हेतु जारी विभिन्न दिशा निर्देशों की पालना करते हुये मय ईवीएम प्रोटोकोल के परिवहन कार्य संपादित कराया जाना सुनिश्चित करेगा।

47. परिवहन कार्य के साथ ही ईवीएम लोडिंग/अनलोडिंग का कार्य भी निविदादाता के द्वारा ही किया जायेगा जिसके संभावित व्यय को सम्मिलित करते हुये ही वित्तिय निविदा में दरें प्रस्तुत करनी होगी।

48. परिवहन कार्य कार्यादेश जारी होने के 10 दिवस में अथवा कार्यादेश में उल्लेखित अवधी में करना होगा।

49. बोलीदाता फर्म का किसी भी सरकारी विभाग/सरकारी संस्था/आयोग से किसी भी प्रकार की सुरक्षा धन राशि को जब्त करने और ब्लैक लिस्ट/डीबार नही करने का नोटेरी द्वारा सत्यापित 100 रूपये के स्टाम्प पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

50. सफल बोलीदाता के करार निष्पादन एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा कराने या उपापन प्रक्रिया के निरस्तीकरण पर शीघ्र ही बोली प्रतिभूति राशि बोलीदाताओं को लौटा दी जायेगी। बोली प्रतिभूति का निम्नलिखित मामलों में समपहरण (Forfeiture) किया जा सकेगा :–

(क) जब बोलीदाता बोली खुलने के बाद किन्तु बोली को स्वीकार करने के पूर्व अपने प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण (Modification) करता है।

(ख) जब बोलीदाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर करार निष्पादित नहीं करता है।

(ग) जब बोलीदाता बोली स्वीकृति की सूचना के पश्चात निर्धारित अवधि में कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है।

(घ) बोली लगाने वाला आरटीपीपी अधिनियम 2012 और इन नियमों के अध्याय–6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिये विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबन्ध को भंग करता है।

51. करार एवं कार्य संपादन प्रतिभूति (Agreement and Performance Security) :–

(अ) बोली आमंत्रण में अंकित सेवा की आपूर्ति हेतु सफल बोलीदाता को बोली स्वीकृति आदेश पत्र की दिनांक से अधिकतम 07 दिवस में सेवा के प्रदाय आदेश की रकम की 5 प्रतिशत राशि कार्य सम्पादन प्रतिभूति के रूप में डिमाण्ड ड्रॉफ्ट/बैंकर्स चैक सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर के नाम से जमा करानी होगी एवं रूपये 500/– के नॉन–ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम में निर्धारित एस.आर. प्रारूप 17 में एक करार पत्र स्वयं के खर्चे पर निष्पादन करना होगा।

(ब) सफल बोलीदाता की बोली प्रतिभूति की रकम कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम में समायोजित की जा सकती है। यदि सफल बोलीदाता द्वारा पृथक से पूर्ण रकम की कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा करवाई जाती है, तो बोली प्रतिभूति की राशि संबंधित को लौटाई जायेगी।

(स) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि पर राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर द्वारा किसी प्रकार के ब्याज आदि का भुगतान नहीं किया जावेगा।

52. कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का समपहरण (Forfeiture of Work Performance Security Deposit):– कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नांकित मामलों में समपहरण (Forfeiture) किया जा सकेगा :–

(क) जब संविदा की शर्तो का उल्लघंन किया गया हो ।

(ख) जब बोलीदाता सम्पूर्ण माल सप्लाई संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

(ग) जब बोलीदाता सम्पूर्ण माल सप्लाई आदेश के अनुसार निर्धारित सप्लाई–अवधि में माल की सप्लाई करने में असफल रहता हो। कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के समपरहण कराने के मामलों में युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिया जायेगा। इस संबंध में सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर का निर्णय अंतिम होगा।

53. परिनिर्धारित क्षति (Liquidated Damages) :– बोलीदाता के सेवा सप्लाई करने में असफल रहने पर परिनिर्धारित क्षति के साथ माल सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में वसूली निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर की जायेगी :–

(क)	विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिये	2.5 %
(ख)	विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनधिक के लिये	5 %

(ग)	विहित सुपुर्दगी अवधि की आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनधिक अवधि के लिये	7.5%
(घ)	विहित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिये	10%
(ड)	विलम्ब की अवधि में आधे दिन से कम के भाग को छोड किया जायेगा।	
(च)	परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।	
(छ)	यदि बोलीदाता किन्ही बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल की सप्लाई को पूरा करने के लिये समय में वृद्धि चाहता है, वह लिखित में उक्त प्राधिकारी को आवेदन करेगा, जिसने प्रदायगी आदेश दिया है। किन्तु वह, उसके लिये आवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।	
(ज)	यदि माल की सप्लाई करने में उत्पन्न हुई बाधा बोलीदाताओं के नियन्त्रण से परे कारणों से हुई हो, तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित की जा सकती है।	

54. बोली के निर्वचन के संबंध में किसी प्रकार की समस्या/संदेह हो तो निम्नलिखित से सम्पर्क किया जा सकता हैं।

नाम	श्रीमती मनीषा चौधरी, सहायक सचिव
कार्यालय का नाम	राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर
दूरभाष नं.	0141–2227407

55. प्रथम अपील हेतु प्राधिकारी–आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान।

56. द्वितीय अपील हेतु प्राधिकारी–शासन सचिव वित्त (बजट) विभाग राजस्थान।

57. किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र जयपुर रहेगा।

58. राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालयों सहित किसी भी सरकारी/अर्द्धसरकारी/सहकारी/बोर्ड/निगम/विश्वविद्यालय आदि संस्थानों से ब्लेक लिस्ट/डिबार फर्म आयोग द्वारा आमंत्रित निविदा/उपापन प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगी।

सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)
email- secraj@rajasthan.gov.in, FAX 0141-2227280, 2227072

पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों के निर्वाचन कार्य हेतु ईवीएम ट्रांसपोरटेसन हेतु निविदा प्रपत्र
तकनीकी बिड (Technical Bid)

1. निविदादाता का नाम...
2. पता ....
3. फोन नं0 कार्यालय........................... मोबाईल न0..ई–मेल आई.डी....................
4. आयकर विभाग का स्थायी खाता संख्या (PAN) ....
5. G.S.T No. ....
6. कम्पनी / फर्म के लिए लीगल स्टेटस / पंजीकरण संबंधी प्रमाण पत्र(प्रोपराइटर फर्म/ प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी / एलएलपी / ट्रस्ट या अन्य कोई श्रेणी संबंधी प्रमाण पत्र)
7. विगत 03 वित्तीय वर्षों (2022–23, 2023–24, 2024–25) के आयकर प्रमाण–पत्र की छायाप्रतियॉ . ...
8. सी.ए. द्वारा फर्म को प्रदत्त विगत 03 वित्तीय वर्षों (2022–23, 2023–24, 2024–25) के औसत टर्नओवर (UDIN No सहित) प्रमाण पत्र एवं ओडिट रिपोर्ट, बैलेंस सीट, प्रोफिट एवं लॉस अकाउंट संबंधी वित्तीय दस्तावेजों की छायाप्रतियॉ ....
9. ब्लैक लिस्ट / डीबार संबंधी प्रमाण पत्र ....
10. निम्न बिन्दुओं के लिए नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र संलग्न करें –
    - फर्म को किसी भी राज्य द्वारा ना ही काली सूची में डाला गया है और न ही उसकी सुरक्षा धनराशि को जब्त किया गया है।
11. निविदा आवेदन पत्र के शुल्क जमा का विवरण–
12. धरोहर धनराशि जमा (EMD)का विवरण...
13. अन्य कोई विवरण...
14. संलग्नको की संख्या–

मैं...मैसर्स...का मालिक..प्रतिशत साझेदार/प्रबन्धक हूँ। निविदा से संबंधित समस्त शर्तों का मेरे द्वारा अध्ययन कर लिया गया है, जो मुझे मान्य है। इस निविदा की समस्त कार्यवाही करने एवं समस्त देयक के प्रति मेरा पूर्ण उत्तरदायित्व है। उपरोक्त समस्त सूचना पूर्णतया सत्य है। इससे संबंधित कोई सूचनाएं मेरे द्वारा छिपायी नहीं गयी है। यदि कोई सूचना असत्य अथवा अपूर्ण पायी जाती है तो उसके लिए मैं उत्तरदायी रहूंगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

दिनांक......................

नाम..

फर्म का नाम.................................

फर्म की मुहर

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)

email- secraj@rajasthan.gov.in, FAX 0141-2227280, 2227072

ईवीएम परिवहन हेतु वित्तीय निविदा प्रपत्र बिड (Financial Bid)/BOQ

क्र. स.	परिवहन हेतु प्रयुक्त होने वाले ट्रक का प्रकार	दर प्रति किलोमीटर(समस्त करों सहित)
1	Close body container truck of minimum 10 wheels having approximate length of 24 to 32 feet, breadth 7.5 to 8 and height 8 to 8.5 feet	
2	Close body container truck of minimum 06 wheels having approximate length of 16 to 24 feet, breadth 7.5 to 8 and height 8 feet	
3	Total	

1. एक से अधिक बोली दाताओं द्वारा प्रस्तुत दरें समान आने पर विगत तीन वित्तीय वर्षों के औसत टर्न ओवर के आधार पर न्यूनतम दर दाता का निर्धारण किया जा सकेगा।
2. परिवहन कार्य हेतु उपरोक्तानुसार दोनों श्रेणियों के योग में जिस बोलीदाता की न्यूनतम दर होगी उसको न्यूनतम दर दाता माना जा सकेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

दिनांक......................

नाम..

फर्म का नाम.................................

निविदा दाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने ईवीएम ट्रांसपोरटेसन हेतु के लिये निविदा दी है, उनका/उनके मैं/हम अनुभवी हूँ/हैं।(प्रति संलग्न)

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाये तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो कि की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी कार्य निष्पादन प्रतिभूति को पूर्ण रूप से सम्पहृत कर लिया जाएगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जायेगा।

निविदा दाता के हस्ताक्षर

घोषणा पत्र

बोली की समस्त जानकारी शर्तो का मैनें/हमने अच्छी तरह अध्ययन कर लिया है। मैं/हम यह भी प्रमाणित करते है कि मैं/हम उक्त कार्य हेतु रजिस्टर्ड है, वास्तव में बोली में चाहा गया व्यवसाय किया जाता है तथा आरटीपीपी ''अधिनियम'' 2012 की धारा 46 एवं ''नियम'' के नियम 39 के अनुसार राज्य सरकार या अन्य किसी सरकारी संस्था/आयोग/विभाग इस उपापन संस्था से अपात्रता के लिये विवर्जित (Debarred) नहीं है।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाये तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी बोली प्रतिभूति एवं कार्य निष्पादन प्रतिभूति की पूर्ण रूप से समपहत किया जा सकेगा तथा बोली को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

बोलीदाता/संवेदक के हस्ताक्षर
नाम मय सील

Annexure-A

Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall:

a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

d) not misuse any Information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

g) disclose conflict of interest, if any; and

h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest. A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

A bidder may be considered to be in Conflict of interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to;

i) have controlling partners/ shareholders in common; or

j) receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or

k) have the same legal representative for purposes of the Bid; or

l) have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or

m) the bidder participates in more than one Bid in abiding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or

n) the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or

o) Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Annexure-B

Declaration by The Bidder regarding Qualification

In relation to my/ our Bid submitted to .... for procurement of .... response to their Notice Inviting Bid No. .... Dated............................... I/ We hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/ We possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;

2. I/ We have fulfilled my/ our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the bidding document;

3. I/ We are not insolvent in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/ our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/ our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;

4. I/ We do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/ our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/ our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;

5. I/ We do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:
Place :

Signature of Bidder
Name:
Designation:
Address:

Annexure-C

Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the Appellate Authority

(1) **Filing an appeal**

If any bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a bidder as successful the appeal may be filed only by a bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a bidder whose technical bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para(1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para(2), or if the bidder or prospective bidder of the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the Appellate Authority, the bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be.

(4) **Appeal not to lie in certain cases**

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) Determination of need of procurement;

(b) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;

(c) The decision of whether or not to enter into negotiations;

(d) Cancellation of a procurement process;

(e) Applicability of the provisions of confidentiality

(5) **Form of Appeal**

(a) An appeal under para(1) or (3) above shall be in the annexed form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any. Affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c) Every appeal may be presented to Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

(6) **Fee for Filing Appeal**

(a) Fee for filing appeal shall be rupees two thousand five hundred, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) **Procedure for disposal of appeal**

(a) The Appellate Authority as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the Appellate Authority, as the case may be, shall

(i) Hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

The order passed under sub-clause(c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Form No. – 1

Memorandum of Appeal
(See sub-rule 1 of rule 83)

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No …………………………………………… of ……………………………
Before……………………………………………………………… (Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:
   a. Name and father's name of the appellant : ……………………………………
   b. Official address : ……………………………………
      ……………………………………
      ……………………………………
   c. Residential address : ……………………………………
      ……………………………………
      ……………………………………

2. Name and address of the respondent(s)

   a. ………………………………………………………………………………
   b. ………………………………………………………………………………
   c. ………………………………………………………………………………

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/ authority who passed the order, or a statement of a decision, action or omission of the procuring entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved ……………………………………………………

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative the name and postal address of the representative ………………………………………………………………………………………………
   ……………………………………………………………………………

5. Number of affidavits and documents enclose with the appeal:

6. Grounds of appeal:-
   ………………………………………………………………………………………………
   ……………………………………………… (Supported by an affidavit)

7. Prayer
   ………………………………………………………………………………………………
   ……………………………………………………………………………

Place ……………………………………
Date ……………………………………

Appellant's Signature

Annexure-D

Additional Conditions of Contract

1. **Correction of arithmetic errors :-**

   Provided that Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis, namely: -

   (a) if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

   (b) if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

   (c) if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (a) and (b) above.

   If the bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. **Procuring Entity's Right to vary Quantities :-**

   (a) At the time of award of contract, the quantity of goods, works or service originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

   (b) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

   (c) In case of procurement of goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 50% of the value of goods of the original contract. If the supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. **Dividing quantities among more than one bidder at the time of award :-**

   As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the bidder, whose bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the bidder, whose bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, then in such cases, the quantity may be divided between the bidders, whose bid is accepted and the second lowest bidder or even more bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the bidder, whose bid is accepted.

DRAFT AGREEMENT OF CONTRACT FORMAT

(to be mutually signed by selected bidder and procuring entity)
(This agreement shall be executed on the Rs. 500/- non-judicial stamp-paper of Rajasthan State)

Agreement

An agreement made this .... day of .... between .... [hereinafter called which expression shall, where the context so admits, be deemed to include his heirs successors, executors and administrators of the one part and the... [name of the Procuring Entity if other than a department of the State (hereinafter called "the Procuring Entity") shall be performing all jobs/grievance redressed/activities etc, for this Bid during contract period], which expression shall, where the context so admits, be deemed to include his successors in office and assigns) of the other part.

WHEREAS the Procuring Entity invited Bids for supply of computer opretor ., ... and has accepted a Bid by the Supplier for the supply of Related EVM Transportation for the sum of .... (amount in figures and words) herein after "the Contact Price").

NOW THIS AGREEMENT WITNESSES AS FOLLOWS:

1. In this Agreement words and expressions shall have the same meanings as are respectively assigned to them in the Contract referred to.
2. The bid document issued vide even no. dated and work order no. dated shall be deemed to form and be read and construed as part of this Agreement.
3. Period of contract will be .... to .... (the contract will be renewed after one year and can be extended further as mentioned in the Bid).
4. In consideration of the payments to be made by the Procuring Entity to the supplier as indicated in this Agreement, the Supplier hereby covenants with the Procuring Entity to provide the Goods and Related Services and to remedy defects therein in conformity in all respects with the provisions of the Contract.
5. The timelines for the prescribed Scope of Work, requirement of services and deployment of technical resources shall be effected from the date of work order i.e. .... and completed by supplier within the period as specified in the bid document.
6. In case of extension in the delivery and / or installation period/ completion period with liquidated damages, the recovery shall be made on the basis of following percentages of value of stores/ works which supplier has failed to supply complete.

A.	Delay up to one fourth period of the prescribed delivery period, successful installation & completion of work	2.5%
B.	Delay exceeding one fourth but not exceeding half of the prescribed delivery period successful installation & completion of work	5.0%
C.	Delay exceeding half but not exceeding three fourth of the prescribed delivery period, successful installation & completion of work.	7.5%
D.	Delay exceeding three fourth of the prescribed delivery period, successful installation & completion of work.	10.0%

Note:

1- Fraction of a day in reckoning period of delay in supplies/ maintenance services shall be eliminated if it is less than half a day.

2- The maximum amount of agreed liquidated damages shall be 10%

3- If supplier requires an extension of time in completion of contractual supply on account of occurrence of any hindrances, he shall apply in writing to the authority which had placed the work order, for the same immediately on occurrence of the hindrance but not after the stipulated date of completion of supply.

4- Delivery period may be extended with or without liquidated damages if the delay in the supply of service in on account of hindrances beyond the control of supplier.

7. The RTTP Act, 2012/Rules, 2013 and GF & AR their amendments issued by the State Government shall also be the part of this contract agreement.

8. All disputes arising out of this agreement and questions relating to the interpretation of this agreement shall be decided as per the procedure mentioned in the document.

IN WITNESS whereof the parties hereto have caused this Agreement to be executed in accordance with the law of the Central and the State Government on the day, month and year first mentioned herein before.

Signed By:	**Signed By:**
Designation; Company:	( ) Designation: State Election Commission, Rajasthan
In the presence of:	**In the presence of:**
( ) Designation; Company:	( ) Designation: State Election Commission, Rajasthan
( ) Designation; Company:	( ) Designation: State Election Commission, Rajasthan